झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 10 राँची, बुधवार, 16 अग्रहायण, 1938 (श०) / 7 दिसम्बर, 2016 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

1 दिसम्बर, 2016

संख्या -1513-- मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 138 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ।

झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2016

1-	**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**	यह नियमावली **झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2016** कही जाएगी । यह गजट में प्रकाशित तिथि से प्रवृत्त होगी ।
2-	**सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना और उपभोग के सम्बन्ध में।**	1- झारखण्ड राज्य में सड़क सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण और सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक कोष की स्थापना की जाएगी, जिसे झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष के नाम से जाना जाएगा । 2- इस कोष में जमा धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जाएगा--

		(क) समस्त राष्ट्रीय मार्गों राजकीय राज्यमार्गों और नगरीय मार्गों पर वाहनों के सुरक्षित संचालन हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाना, (ख) सड़क दुर्घटना के आँकड़े एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना, (ग) वाहन चालन हेतु लाईसेंसिंग प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु कदम उठाना, (घ) यातायात नियमों की जानकारी देना एवं जनसामान्य में इस हेतु जागरूकता पैदा करना, (ङ) सड़क दुर्घटनाओं के प्रवर्तन और नियंत्रण हेतु संयंत्रों की व्यवस्था करना ।
3-	**परिभाषाऐं**	जब तक किसी सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-- (क) **"कोष"** का तात्पर्य झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष से है। (ख) **"वित्तीय वर्ष"** का तात्पर्य एक कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारम्भ बारह मास की होनेवाली अवधि से है। (ग) **"अधिनियम"** का तात्पर्य मोटरयान अधिनियम,1988 से है। (घ) **"राज्य"** का तात्पर्य "**झारखण्ड राज्य"** से है।
4-	**कोष का लेखा वर्गीकरण एवं वित्तीय प्रक्रिया**	1.एक पृथक उपशीर्ष योजना माँग संख्या - 47 -परिवहन विभाग मुख्य शीर्ष 5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश एवं लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-22- सड़क सुरक्षा निधि, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, 23-आपूर्ति एवं सामग्री के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि के अन्तर्गत किया जाएगा । 2.किसी भी प्रकार होने वाले व्यय को उपर्युक्त शीर्षों में डाला जाएगा और इस व्यय को झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष, 2016 से पूर्ण होने वाली राशि में भी प्रदर्शित किया जाएगा।
5-	**कोष के स्त्रोत**	1.परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत शमन शुल्क से प्राप्त सकल धनराशि का 10% राशि राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सड़क सुरक्षा कोष के निमित्त खोले गये बैंक खाता में जमा किया जाएगा। 2.वित्तीय वर्ष में एकत्रित की गयी धनराशि के अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में नियमानुसार बजट प्रावधान कर राशि का उपबंध कराया जाएगा। 3.यदि कोई वित्तीय अंशदान झारखण्ड सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा कोष में किया जाता है, तो वह भी इस कोष में जमा कराया जाएगा।
6-	**प्रादेशिक सीमा**	ऐसे कार्य जो इस नियमावली के अधीन अनुमान्य हैं, सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में किये जायेंगे ।

<table>
<tr>
<td>7-</td>
<td>कोष की प्रबन्धन समिति</td>
<td>Supreme Court Committee on Road Safety के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सड़क सुरक्षा के मामले में की जाने वाली समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति का गठन किया गया हैः-
<table>
<tr><td>1- मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3- प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4- प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5- प्रधान सचिव/सचिव,वित्त विभाग</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>6- प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>7- प्रधान सचिव/सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>8- प्रधान सचिव/सचिव,परिवहन विभाग</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>9- पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>10-राज्य परिवहन आयुक्त</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
<tr><td>11-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य</td><td>सदस्य</td></tr>
</table>
2. यह समिति ‘कोष’ की प्रबन्ध समिति कही जाएगी। समिति के सभी सदस्य पदेन होंगे ।

3. एक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में कोष की प्रबन्ध समिति की कम से कम एक बैठक होगी ।

4. कोष की प्रबन्धन समिति की बैठक हेतु गणपूर्ति (कोरम) 05 सदस्यों की होगी ।</td>
</tr>
<tr>
<td>8-</td>
<td>कोष के प्रबन्धन समिति के अधिकार और कर्तव्य</td>
<td>1. समिति इस कोष से वित्तपोषित योजनाओं का चयन और उनका अनुमोदन करेगी।
2. समिति स्वीकृत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगी।
3. समिति नियमावली के अनुसार कोष के लेखों का रख-रखाव सुनिश्चित करेगी ।</td>
</tr>
</table>

9-	**कोष से वित्तपोषित होनेवाली योजनाओं की शर्तें**	**कोष से वित्तपोषित होनेवाली योजनाओं की शर्तें निम्नवत् होंगीः-** (क) योजनाओं का चयन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे मानकों के अनुरूप किया जाएगा । (ख) कोष की धनराशि से केवल ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाएगा, जिन्हें केवल एक बार में ही पूरा किया जा सके । (ग) सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के सामान्य कार्मिकों के वेतन तथा स्थापना/कार्यालय व्यय का वेतन भुगतान कोष की प्रबन्धन समिति के अनुमोदनोपरांत कोष से किया जाएगा । (घ) कोष से सम्बन्धित किसी भी धनराशि का विनिधान किसी भी दिशा में ब्याज अर्जित करने के लिए सावधी जमा योजना में रखने अथवा ऋण पर देने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा । (ङ) कोष से स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा, जिसके लिए वह स्वीकृत की गयी है ।
10-	**कोष से करायी जाने वाली योजनायें कार्य**	कोष द्वारा निम्नलिखित योजनायें/कार्य किये जाएंगे :- **(I) <u>सड़क सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित कार्य, जो निम्नलिखित होंगेः-</u>** (क) दुर्घटना के मामले में जनसामान्य की सुरक्षा एवं मृत्यु की दर में कमी हेतु त्वरित आवश्यकता के अनिवार्य/नियामक चेतावनी एवं सूचनात्मक सड़क संकेत के बोर्ड, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल्स आदि लगाया जाना/रख-रखाव, जहाँ अन्य विभागों द्वारा लगाया जाना/रख-रखाव किया जाना सम्भव न हो, (ख) सड़क दुर्घटना के आँकड़ों की रिपोर्टिंग, विश्लेषण तथा नियंत्रण हेतु “सड़क दुर्घटना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम” लागू करना, (ग) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर आनेवाले व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना, (घ) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु एम्बुलेंस तथा अन्य सहवर्ती उपकरणों आदि का क्रय, उनके रख-रखाव, एम्बुलेंस के चालक का वेतन एवं प्रयुक्त

		होनेवाले ईंधन आदि पर व्यय। **उपरोक्त उद्देश्यों पर होनेवाला व्यय परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार की अनुदान माँग संख्या - 47 -परिवहन विभाग मुख्य शीर्ष 5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश एवं लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-22- सड़क सुरक्षा निधि, विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, 23-आपूर्ति एवं सामग्री के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से किया जाएगा ।** (ङ) सड़क दुर्घटना के कारणों का अध्ययन करने के पश्चात् उनको सही करने/सुधार के उपाय निकालना तथा दुर्घटना बाहुल्य स्थानों का चिन्हांकन करना, (च) यातायात प्रबन्धन एवं सड़क सुरक्षा हेतु उपकरणों का क्रय एवं रख-रखाव करना, (छ) पुलिस विभाग के पास उपलब्ध क्रेनों के रख-रखाव एवं उपयोग हेतु आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना, (ज) ड्राईविंग लाईसेंस प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटराईज्ड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना कराना, (झ) व्यवसायिक वाहनों की स्वस्थता जाँच हेतु परिवहन कार्यालयों में वाहन निरीक्षण पिट की स्थापना कराना, (ञ) सीएनजी चालित वाहनों की जाँच हेतु सचल जाँच संयंत्र उपलब्ध कराना, (ट) सुदृढ़ सड़क सुरक्षा का उपाय एवं यातायात प्रबन्धक के कोई अन्य कार्य जो कोष की प्रबन्धन समिति द्वारा उपयुक्त एवं लाभकारी समझा जाय ।
		(II) <u>यातायात शिक्षा सम्बन्धित कार्य जो निम्नवत् होंगे :-</u> **(क) अन्य विभागों के सहयोग से अथवा यातायात शिक्षा पार्कों की स्थापना करना,**

		(ख) जन सामान्य में यातायात नियमों का प्रचार प्रसार करना, **(ग) बच्चों के बीच यातायात नियमों की जानकारी कराने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना,** **(घ) यातायात प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रचार प्रसार सामग्री तैयार कराना,** **(ङ) यातायात शिक्षा से सम्बन्धित उपस्कर का क्रय एवं उनका रख-रखाव करना,** **(च) ऑडियो-वीडियो उपस्करों/कम्प्यूटर एवं अन्य उपसाधन से युक्त यातायात प्रचार-प्रसार वाहन क्रय करना और जनसामान्य को यातायात शिक्षा देने हेतु उनका उपयोग करना,** **(छ) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रदर्शनियों का आयोजन करना,** **(ज) झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में 'यातायात सप्ताह ', 'यातायात माह ', 'यातायात त्रैमास ' तथा अन्य क्रियाकलापों जैसे यातायात सेमिनार, बैठकों, रैली, प्रतियोगिताओं एवं अन्य सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित कराना,** **(झ) यातायात सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु विभिन्न स्तर के पुलिस, परिवहन, नगर विकास विभाग आदि के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रमों का आयोजन,** **(त्र) प्रदेश के बड़े महानगरों में यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु अध्ययन कराया जाना।**
		(III) <u>यातायात प्रवर्तन सम्बन्धित कार्य जो निम्नवत् होंगे :-</u> आधुनिक यातायात प्रवर्तन उपकरणों आदि का क्रय, संचालन एवं रख-रखाव किया जाना ।
11-	**कोष की प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया**	1. परिवहन आयुक्त विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा कर उन्हें कोष प्रबन्धन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे, 2. कोष प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तावों/परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिए जाने के उपरांत वित्तपोषण के लिए औपचारिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों को परिवहन विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा ।

12-	**कोष से वित्तपोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व**	1. योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों का समन्वय परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाएगा । कोष से वित्तपोषित उपयोगी उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत आदि का सही-सही क्रियान्वयन कराने व नियमित अनुश्रवण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा, 2. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे । वे योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करेंगे । योजनाओं के पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के वरीष्ठतम् जिला स्तरीय पदाधिकारी का होगा, 3. अनुमोदित कार्यां से सम्बन्धित क्रय के मामलों में स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाएगा ।
13-	**कोष का अनुरक्षण और समपरीक्षा**	1. परिवहन विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा झारखण्ड वित्तीय नियमावली एवं कोषागार नियमों के अनुसार कोष से उपगत व्यय का उचित लेखा-जोखा रखा जाएगा तथा उसका पुनर्मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय से कराया जाएगा। वार्षिक लेखाबन्दी से पूर्व पुनर्मिलान कार्य सम्पादित किये जाने के साथ ही समायोजनों से संबंधित आदेश समसामयिक रूप से महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा, 2. कोष में अंतरित राशि में से वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष/अनुपयोजित राशि का राज्य के समेकित कोष में समर्पण के संबंध में यह व्यवस्था होगी की राजस्व लेखा से लोक लेखा समिति को जो राशि अंतरित की जाएगी, उस राशि से नियमानुसार व्यय किया जाएगा। अनुपयोजित होने की दशा में वह राशि कोष में बची रहेगी। ऐसी राशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित नहीं किया जाएगा। अनुपयोजित होने की दशा में कोष से व्यय प्रावधानों के अनुसार कार्यात्मक शीर्ष (राजस्व पूँजी व्यय, जैसी भी स्थिति हो) में की गयी ठीक नियमानुसार समर्पित किया जाना होगा, 3. कोष की राशि को किसी परियोजना में विनिवेश नहीं किया जाएगा, परंतु नियम 10 में उल्लेखित उपयोगी कार्य कराये जायेंगे,

		4. इन लेखों की संपरीक्षा महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कार्यालय झारखण्ड द्वारा की जाएगी, 5. कोष से आय तथा कोष से किये गये व्यय का विस्तृत विवरण परिवहन विभाग द्वारा राज्य सरकार को समय-समय पर एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा, 6. यदि कोष से आवंटित राशि वित्तीय वर्ष में निर्धारित कार्यों/मदों में वित्तीय वर्ष के अन्त तक व्यय नहीं की जा सकी है, तब अवशेष राशि का समर्पण निश्चित अवधि के भीतर लेखाशीर्ष में किया जाएगा तथा इससे सम्बन्धित सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जाएगा, 7.यदि नियमावली में कोई उपान्तर/परिवर्तन/संशोधन करना हो, तो वह महालेखाकार, झारखण्ड, राँची की पूर्व सहमति से किया जाएगा ।

झारखण्ड, राज्यपाल के आदेशानुसार,

ह०/- (अस्पष्ट),
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 10–50